**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 2897**

**बुधवार, 21 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**चर्म उद्योग हेतु पैकेज**

**अता.प्र.सं. 2897. श्री राजकुमार धूतः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में चर्म उद्योग हेतु पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सामान्य रूप में चर्म उद्योग तथा विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर को कैसे लाभान्वित करेगा?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री सी. आर. चौधरी)**

**(क) और (ख):** जी, हां। सरकार ने चमड़ा एवं फुटवेयर क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु विशेष पैकेज अनुमोदित किया है। इस पैकेज में वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक तीन वित्‍तीय वर्षों में 2600 करोड़ रूपये के अनुमोदित व्‍यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की स्‍कीम ‘भारतीय फुटवेयर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी)’ का कार्यान्‍वयन शामिल है। भारतीय फुटवेयर, चमड़ा एवं सहायक सामान विकास कार्यक्रम का ब्‍यौरा निम्‍नवत है:

1. **मानव संसाधन विकास (एचआरडी) उप-स्‍कीम:**

एचआरडी उप-स्‍कीम में 15000/- रूपये प्रति व्‍यक्‍ति की दर से बेरोजगार व्‍यक्‍तियों के लिए नियोजन सम्‍बद्ध कौशल विकास प्रशिक्षण, प्रति कर्मचारी 5000/- रूपये की दर से रोजगारशुदा कामगारों के लिए कौशल उन्‍नयन प्रशिक्षण तथा 2 लाख रूपये प्रति व्‍यक्‍ति की दर से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु सहायता का प्रावधान है।

1. **चमड़ा क्षेत्र एकीकृत विकास (आईडीएलएस) उप-स्‍कीम:**

आईडीएलएस उप-स्‍कीम निवेश तथा विनिर्माण को प्रोत्‍साहित करती है जिसमें सूक्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यमों (एमएसएमई) हेतु नये संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 30% की दर से तथा मौजूदा इकाइयों के आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्‍नयन हेतु तथा नयी इकाइयों की स्‍थापना के लिए भी संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के 20% की दर से बैक-एंड निवेश अनुदान/सब्‍सिडी उपलब्‍ध कराकर रोजगार सृजन शामिल है।

1. **सांस्‍थानिक सुविधा स्‍थापना उप-स्‍कीम:**

इस उप-स्‍कीम में फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्‍थान (एफडीडीआई) के कुछ मौजूदा परिसरों के “उत्‍कृष्‍टता केंद्रों” में उन्‍नयन तथा आगामी मेगा लेदर क्‍लस्‍टर के साथ-साथ पूर्णत: सुसज्‍जित 3 कौशल केंद्रों की स्‍थापना हेतु एफडीडीआई को सहायता उपलब्‍ध करायी गई है।

1. **मेगा चमड़ा, फुटवेयर एवं सहायक सामान क्‍लस्‍टर (एमएलएफएसी) उप-स्‍कीम:**

एमएलएफएसी उप-स्‍कीम के तहत मेगा चमड़ा, फुटवेयर एवं सहायक सामान क्‍लस्‍टर की स्‍थापना द्वारा चमड़ा, फुटवेयर एवं सहायक सामान सैक्‍टर को अवसंरचना सहायता उपलब्‍ध करायी जाती है। पात्र परियोजना लागत के 50% तक ग्रेडेड सहायता उपलब्‍ध करायी जाती है जिसमें सरकारी सहायता की अधिकतम 125 करोड़ रूपये की सीमा के साथ भूमि लागत शामिल नहीं है।

1. **चमड़ा प्रौद्योगिकी, अभिनवीकरण तथा पर्यावरणीय मुद्दों संबंधी उप-स्‍कीम:**

इस उप-स्‍कीम के अंतर्गत परियोजना लागत के 70% की दर से सामान्‍य कचरा निपटान संयंत्रों (सीईटीपी) के उन्‍नयन/संस्‍थापन हेतु सहायता उपलब्‍ध करायी जाती है। इस उप-स्‍कीम के अंतर्गत राष्‍ट्रीय स्‍तर के क्षेत्रगत उद्योग परिषद/एसोसिएशन हेतु सहायता तथा चमड़ा, फुटवेयर एवं सहायक सामान क्षेत्र हेतु विजन दस्‍तावेज तैयार करने के लिए भी सहायता उपलब्‍ध कराई जाती है।

1. **चमड़ा, फुटवेयर एवं सहायक सामान क्षेत्र में भारतीय ब्रांडों का संवर्धन उप-स्‍कीम:**

इस स्‍कीम के अंतर्गत ब्रांड संवर्धन हेतु अनुमोदित पात्र इकाइयों की मदद की जाती है। सरकारी सहायता, प्रत्‍येक ब्रांड के लिए, 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष, 3 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा के अध्‍यधीन कुल परियोजना लागत के 50% की सीमा में उपलब्‍ध कराई जाती है।

1. **चमड़ा, फुटवेयर एवं सहायक सामान क्षेत्र हेतु अतिरिक्‍त रोजगार प्रोत्‍साहन उप-स्‍कीम:**

इस स्‍कीम के अंतर्गत चमड़ा, फुटवेयर तथा सहायक सामान क्षेत्र में सभी नये कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्‍य निधि में 3.67 प्रतिशत कर्मचारी अंशदान, रोजगार के प्रथम 3 वर्षों के लिए ईपीएफओ में शामिल होने के वास्‍ते उपलब्‍ध कराया जाता है।

**(ग) :**  आईएफएलएडीपी स्‍कीम का उद्देश्‍य चमड़ा क्षेत्र हेतु अवसंरचना विकास, चमड़ा क्षेत्र मूलक पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करना, अतिरिक्‍त निवेश सुकर बनाना, रोजगार सृजन तथा उत्‍पादन बढ़ाना है। आईएफएलएडीपी चमड़ा, फुटवेयर एवं सहायक सामान उद्योग के समग्र विकास हेतु एक मांग संचालित केंद्रीय क्षेत्र स्‍कीम है। इस स्‍कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्‍त करने के लिए कोई राज्‍य अथवा जिला पात्र हो सकता है।

\*\*\*\*\*